

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद सं० 94/2016

1. पीयूष पुत्र अवधेश जाति ब्राह्मण निवासी काचरिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज०
वादी

बनाम

1. गोकलेश पुत्र राधावल्लभ जाति ब्राह्मण निवासी काचरिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज०
2. मोहनश्याम पुत्र बालकृष्णदास महन्त जाति ब्राह्मण निवासी काचरिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज०
3. हरिकृष्ण पुत्र बालकृष्णदास महन्त जाति ब्राह्मण निवासी काचरिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज०
4. मन्दिर श्री रघुनाथ जी महाराज काचरिया पीठ के पास, किशनगढ़ जरिये अध्यक्ष श्री नन्दकिशोरदास पुत्र श्री बालकृष्णदास जाति ब्राह्मण निवासी किशनगढ़ जिला अजमेर राज०
5. नटवरलाल उर्फ नन्दकिशोर पुत्र बालकृष्णदास महन्त जाति ब्राह्मण निवासी काचरिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज०
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ जिला अजमेर राज०

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संबंध में प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.02.2017 की पालना में मौका कमीश्नर नायब तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा ग्राम काचरिया तहसील किशनगढ़ स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि ख०नं० 9 रकबा 152-04-00 भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं० 1 लगायत 5 के मध्य राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में अंकित हिस्सेनुसार अच्छी में अच्छी एवं बुरी में बुरी भूमि का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान् को सुना गया। उनके द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमत होने पर कमीश्नर रिपोर्ट के अनुसार बंटवारा किया जाता है व कमीश्नर रिपोर्ट के साथ पेश संलग्न राजस्व मानचित्र अन्तिम डिक्री का एक भाग होगा। अतः तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद अधीन भूमि का निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है। तदनुसार अन्तिम डिक्री पचां जारी हो।


क्र.सं.	नाम खातेदार	ख०नं०	रकबा	किश्म	लगान	रंग
1	गोकलेश पुत्र राधावल्लभ कौम ब्राह्मण सा० देह खातेदार	9/1	10-00-00 84-14-00	बंजर-1 बा.-1 13-19-00 बंजर-1 70-15-00	16.39	गाजरी
	योग	किता 2	94-14-00		16.39	
2	नटवरलाल उर्फ नन्दकिशोरदास पुत्र बालकृष्णदास महन्त कौम ब्राह्मण सा० देह खातेदार	9/2	05-00-00	बंजर-1 01-17-00 बाशानी-2 03-03-00	3.68	नीला
	योग	किता 1	05-00-00		3.68	



Dwivedy
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

3	मोहनश्याम, नटवरलाल, हरिकृष्ण पि० बालकृष्ण दास महन्त कौम ब्राह्मण सा० देह खातेदार	9/3 9/6	10-00-00 10-00-00	बारानी-1 बंजर-1	11.10	हरा
	योग	किता 2	20-00-00		11.10	
4	पीयूष पुत्र अवधेश शर्मा कौम ब्राह्मण सा० किशनगढ़ खातेदार	9/4	02-00-00	बारानी-2	0.60	काला
	योग	किता 1	02-00-00		0.60	
5	मन्दिर श्री रघुनाथ जी महाराज काचरिया पीठ के पास किशनगढ़ जरिये अध्यक्ष श्री नन्दकिशोर दास पुत्र श्री बालकृष्ण दास जाति ब्राह्मण नि. किशनगढ़ खातेदार	9/5 9/7	12-10-00 18-00-00	बारानी-1 बारानी-1	31.68	नारंगी
	योग	किता 2	30-10-00		31.68	

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13-1-20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।



Devent
(देवेन्द्र कुमार)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

अन्तिम डिक्री
(आर्डर 20, रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)
(Civil Procedure Code Appendix D-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ (अजमेर)
व इजलास देवेन्द्र कुमार आई.ए.एस.

1. पीयूष पुत्र अवधेश जाति ब्राह्मण निवासी काचरिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

वादी

बनाम

1. गोकलेश पुत्र राधाबल्लभ जाति ब्राह्मण निवासी काचरिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज.
2. मोहनश्याम पुत्र बालकृष्णदास महन्त जाति ब्राह्मण निवासी काचरिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज.
3. हरिकृष्ण पुत्र बालकृष्णदास महन्त जाति ब्राह्मण निवासी काचरिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज.
4. मन्दिर श्री रघुनाथ जी महाराज काचरिया पीठ के पास, किशनगढ़ जरिये अध्यक्ष श्री नन्दकिशोरदास पुत्र श्री बालकृष्णदास जाति ब्राह्मण निवासी किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
5. नटवरलाल उर्फ नन्दकिशोर पुत्र बालकृष्णदास महन्त जाति ब्राह्मण निवासी काचरिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रतिवादीगण

दावा बाबत : 53 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर : 94/2016
निर्णय दिनांक : 13.1.20

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संबंध में प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.02.2017 की पालना में मौका कमीश्नर तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा ग्राम काचरिया तहसील किशनगढ़ स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि ख0नं0 9 रकबा 152-04-00 भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 5 के मध्य राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में अंकित हिस्सेनुसार अच्छी में अच्छी एवं बुरी में बुरी भूमि का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान् को सुना गया। पक्षकारान् द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमत होने पर कमीश्नर रिपोर्ट के अनुसार बंटवारा किया जाता है। कमीश्नर रिपोर्ट के साथ पेश संलग्न राजस्व मानचित्र अन्तिम डिक्री का एक भाग होगा। अतः तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद अधीन भूमि का निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान	रंग
1	गोकलेश पुत्र राधावल्लभ कौम ब्राह्मण सा0 देह खातेदार	9/1	10-00-00 84-14-00	बंजर-1 बा.-1 13-19-00 बंजर-1 70-15-00	16.39	राजरी
	योग	किता 2	94-14-00		16.39	
2	नटवरलाल उर्फ नन्दकिशोरदास पुत्र बालकृष्णदास महन्त कौम ब्राह्मण सा0 देह खातेदार	9/2	05-00-00	बंजर-1 01-17-00 बारानी-2 03-03-00	3.68	नीला
	योग	किता 1	05-00-00		3.68	
3	मोहनश्याम, नटवरलाल, हरिकृष्ण पि0 बालकृष्ण दास महन्त कौम ब्राह्मण सा0 देह खातेदार	9/3 9/6	10-00-00 10-00-00	बारानी-1 बंजर-1	11.10	हरा
	योग	किता 2	20-00-00		11.10	

Handwritten Signature
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

4	पीयूष पुत्र अवधेश शर्मा कौम ब्राह्मण सा0 किशनगढ़ खातेदार	9/4	02-00-00	बारानी-2	0.60	काला
	योग	किता 1	02-00-00		0.60	
5	मन्दिर श्री रघुनाथ जी महाराज काचरिया पीठ के पास किशनगढ़ जरिये अध्यक्ष श्री नन्दकिशोर दास पुत्र श्री बालकृष्ण दास जाति ब्राह्मण नि. किशनगढ़ खातेदार	9/5 9/7	12-10-00 18-00-00	बारानी-1 बारानी-1	31.68	नारंगी
	योग	किता 2	30-10-00		31.68	

असप्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13-1-20 को जारी की गई।



Handwritten:
(देवेन्द्र कुमार)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

